असहयोग आन्दोलन (1920-22)

सितम्बर 1920 में असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए कलकत्ता में कांग्रेस महासमिति के अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाजपत राय ने की। इस अधिवेशन में गांधीजी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा 'अंग्रेजी सरकार शैतान है, जिसके साथ सहयोग संभव नहीं। अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर कोई दु:ख नहीं है। अत: हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेंगी। स्वराज्य की प्राप्ति के लिए हमारे द्वारा प्रगतिशील अहिंसात्मक असहयोग की नीति अपनायी जानी चाहिए।' गांधीजी के इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए एनी बेसेन्ट ने कहा कि 'यह प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है, एक मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा था। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय, देशबन्धु चित्तरंजन दास, विपिन चन्द्र पाल, मुहम्मद अली जितना, शंकर नायर, सर नारायण, चन्द्रावरकर ने प्रारंभ में इस प्रस्ताव का विरोध किया। फिर भी अली बन्धुओं एवं मोतीलाल नेहरू के समर्थन से यह प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकार किया। यही वह क्षण था जहां से 'गांधी युग' की शुरुआत हुई। असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य बातें इस प्रकार थीं -

(1) सरकारी उपाधि एवं अवैतनिक सरकारी पदों को छोड़ दिया जाय।

(2) सरकार द्वारा आयोजित सरकारी तथा अर्द्धसरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाय। स्थानीय संस्थाओं की सरकारी सदस्यता से इस्तीफा दिया जाय।

(3) सरकारी स्कूलों एवं कालेजों का बहिष्कार, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया जाय। आपसी विवाद पंचायती अदालतों द्वारा निपटाया जाय।

(4) असैनिक श्रमिक व कर्मचारी वर्ग मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी करने से इन्कार करें।

(5) विदेशी सामानों का पूर्णत: बहिष्कार किया जाय।

Scanned with CamScanner

दिसम्बर 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव से सम्बन्धित लाला लाजपत राय एवं चित्तरंजन दास ने अपना विरोध वापस ले लिया। गांधीजी ने नागपुर में कांग्रेस के पुराने लक्ष्य अंग्रेजी साम्राज्य के अन्तर्गत 'स्वशासन' के स्थान पर अंग्रेजी साम्राज्य के अन्तर्गत 'स्वराज्य' का नया लक्ष्य घोषित किया। साथ ही गांधीजी ने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो स्वराज्य के लक्ष्य को अंग्रेजी साम्राज्य से बाहर भी प्राप्त किया जा सकता है। बेसेन्ट, जिन्ना एवं पाल जैसे नेता गांधीजी के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर कांग्रेस को छोड़ दिये। नागपुर अधिवेशन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्व इसलिए है क्योंकि यहां पर वैधानिक साधनों के अन्तर्गत स्वराज्य प्राप्ति के लक्ष्य को त्यागकर सरकार के सक्रिय विरोध करने की बात को स्वीकारा गया।

असहयोग आन्दोलन की सफलता के लिए गांधीजी द्वारा अपनाये गये रचनात्मक कार्यों में - शराब का बहिष्कार, हिन्दू-मुस्लिम एकता एवं अहिंसा पर बल, छुआछूत से परहेज, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, हाथ से कते या बुने खादी कपड़े का प्रयोग, कांग्रेस के झण्डे के नीचे समस्त राष्ट्र को एकत्र करना, कड़े कानूनों की सविनय अवज्ञा करना, कर न देना आदि शामिल था।

आन्दोलन की प्रगति - आन्दोलन शुरू करने से पहले गांधीजी ने 'कैसर-ए-हिन्द' (पुरस्कार गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले मिला था) पुरस्कार को लौटा दिया, अन्य सैकड़ों लोगों ने भी गांधीजी के पद चिह्नों पर चलते हुए अपनी पदवियों एवं उपाधियों को त्यागा। 'राय बहादुर' की उपाधि से सम्मानित जमना लाल बजाज ने यह उपाधि वापस कर दी। असहयोग आन्दोलन गांधीजी ने 1 अगस्त 1920 को आरम्भ किया। विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए अनेक शिक्षण संस्थायें जैसे काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि स्थापित की गयी। वकालत का बहिष्कार करने वाले वकीलों में प्रमुख थे - बंगाल के देशबन्धु चित्तरंजन दास, उत्तर प्रदेश के मोती लाल नेहरू एवं जवाहर लाल नेहरू, गुजरात के बिट्ठल भाई पटेल एवं बल्लभ भाई पटेल, बिहार के राजेन्द्र प्रसाद, मद्रास के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी एवं दिल्ली के आसफ अली आदि। मुस्लिम नेताओं में असहयोग आन्दोलन ने सर्वाधिक योगदान देने वाले नेता थे - डाक्टर अन्सारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, मुहम्मद अली आदि। गांधीजी के आह्वान पर 'असहयोग आन्दोलन' के

Scanned with CamScanner

खर्च की पूर्ति के लिए 1921 में 'तिलक स्वराज्य फण्ड' की स्थापना की गई जिसमें लोगों द्वारा एक करोड़ से अधिक रुपया जमा किया गया।

1919 के सुधार अधिनियम के उद्घाटन के लिए 'ड्यूक ऑफ कन्नौट' के भारत आने पर विरोध एवं बहिष्कार किया। 1921 में असहयोग आन्दोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। सरकार ने असहयोग आन्दोलन को कुचलने का हरसम्भव प्रयास किया। 4 मार्च 1921 को ननकाना के एक गुरुद्वारे में, जहां पर शान्तिपूर्ण ढंग से सभा का संचालन किया जा रहा था, पर सैनिकों द्वारा गोली चलाने के कारण करीब 70 लोगों की जानें गई। 1921 में लार्ड रीडिंग के भारत के वायसराय बनने पर दमन चक्र कुछ और ही कड़ाई से चलाया गया। मुहम्मद अली, मोती लाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आजाद, राज गोपालाचारी, राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल जैसे नेता गिरफ्तार कर लिये गये। मुहम्मद अली पहले नेता थे जिन्हें सर्वप्रथम 'असहयोग आन्दोलन' में गिरफ्तार किया गया। अप्रैल 1921 में गांधीजी ने वायसराय रीडिंग से मुलाकात की। नवंबर 1921 में 'प्रिंस ऑफ वेल्स' के भारत आगमन पर उनका सर्वत्र काला झण्डा दिखाकर स्वागत किया गया। गांधीजी ने अली बन्धुओं की रिहाई न किये जाने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। राजकुमार के अपमान के बदले के रूप में सरकार ने कठोर दमन की नीति का सहारा लिया। परिणामस्वरूप स्थान-स्थान पर लाठी चार्ज, मारपीट, गोलीकाण्ड आम बात हो गयी। करीब 60,000 लोगों को इस अवधि में बन्दी बनाया गया। इसी बीच दिसम्बर 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहां पर असहयोग आन्दोलन को तीव्र करने एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने की योजना बनी। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को देवरिया जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा। फलत: जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गयी। इस घटना ने असहयोग आन्दोलन को स्थगित कर दिया। अब गांधीजी ने रचनात्मक कार्यों पर जोर दिया।

असहयोग आन्दोलन के स्थगन पर मोतीलाल नेहरू ने कहा - 'यदि कन्याकुमारी के एक गांव ने अहिंसा का पालन नहीं किया तो इसकी सजा हिमालय के एक गांव को क्यों मिलनी चाहिए।' सुभाष चन्द्र बोस ने कहा - 'ठीक इस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था वापस लौटने का आदेश दे देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं।' आन्दोलन के स्थगित करने का प्रभाव गांधीजी की लोकप्रियता पर पड़ा। 13

Scanned with CamScanner

मार्च 1922 को गांधीजी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के कड़े कारावास में रखा गया, स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से गांधीजी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया।

Scanned with CamScanner